

UNWTO के 109वें सत्र में भारत की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री के.जे. अलफोन्स ने मनामा (बहरीन) में आयोजित यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन (UNWTO) के 109वें सत्र में भाग लिया। UNWTO के एक्जीक्यूटिव काउंसिल का तीन दिवसीय सत्र 30 अक्टूबर, 2018 को शुरू हुआ जिसमें वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के विकास से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- एक्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की शुरुआत में भारत के पर्यटन मंत्री के.जे. अलफोन्स ने UNWTO सम्मेलन के 'प्रोग्राम एवं बजट कमिटी' की अध्यक्षता की।
- इस सम्मेलन में भारत के पर्यटन मंत्री ने सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये पर्यटन की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन की सहायता से नौकरियों का सृजन, उद्यम एवं पर्यावरण विकास और वदेशी मुद्रा का अर्जन संभव हो सकेगा।
- कमिटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बताया कि पहली बार UNWTO का बजट 'अधिशेष' की स्थिति में आया है एवं अधिकांश बकायों को चुकता कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त भारत के पर्यटन मंत्री अलफोन्स, UNWTO के सेक्रेटरी जनरल मस्टर जुराब पोलोलिकासवली से भी मिले और पर्यटन के विकास तथा सार्वजनिक-नजी भागीदारी की स्थापना में UNWTO की भूमिका पर चर्चा की।
- भारत 2021 तक UNWTO एक्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रोग्राम एवं बजट कमिटी की अध्यक्षता करेगा।

क्या है UNWTO?

- वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन, यूएन की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो पर्यटन के क्षेत्र में एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह उत्तरदायी, संपोषणीय और सार्वजनिक पहुँच की विशेषता रखने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये उत्तरदायी है।
- UNWTO का मुख्यालय मैड्रिड (स्पेन) में है।

कार्य

- यह पर्यटन नीति से संबंधित मुद्दों एवं पर्यटन के बारे में जानने हेतु व्यावहारिक स्रोतों के लिये एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।
- अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यह पर्यटन के क्षेत्र में विकासशील देशों के हितों पर विशेष ध्यान देता है।
- UNWTO तकनीकी हस्तांतरण और वैश्विक सहयोग के लिये एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि सार्वजनिक-नजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यटन संबंधी एथिक्स के वैश्विक कोड के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन मिले।

एक्जीक्यूटिव काउंसिल

- UNWTO की एक्जीक्यूटिव काउंसिल, संगठन के प्रशासनिक निकाय का प्रतिनिधित्व करती है। इसका कार्य सभा द्वारा लिये गए नरिण्यों और सफ़िराशियों के क्रियान्वयन हेतु महासचिव के परामर्श से सभी आवश्यक उपायों को अपनाना है।
- एक्जीक्यूटिव काउंसिल का सम्मेलन एक वर्ष में कम-से-कम दो बार होता है।
- परिषद में 35 पूर्ण सदस्य होते हैं जिनका चयन सभा द्वारा इस तरीके से किया जाता है कि निष्पक्ष और समान भौगोलिक वितरण की स्थिति को प्राप्त किया जा सके।

